न्यायालय श्री बलदेवसिंह, न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर
फौजदारी प्रकरण संख्या 13/2012

तारीख रजू 11.06.2012

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर।

—आवेदक

बनाम

श्री मनीष कुमार गोयल पुत्र श्री दुलीचन्द अग्रवाल उम्र 25 वर्ष जाति महाजन
विक्रेता व प्रोप्राइटर —फर्म— महावीर स्वीट्स,पंजाब नेशनल बैंक के सामने रणथम्भौर रोड सवाईमाधोपुर
निवासी गुरूद्वारा रोडपुराना शहर,सवाईमाधोपुर।
व फर्म— महावीर स्वीट्स,पंजाब नेशनल बैंक के सामने, रणथम्भौर रोड,सवाईमाधोपुर।—प्रोप्राइटर

— अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम 3(1)(1)(2)(3) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम,2011

::निर्णय::

दिनांक 04.08.2015

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम 3(1)(1)(2)(3) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम,2011प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक ने दिनांक 28.10.2011 को 03.30पी..एम. पर श्री रामभजन मीना प्रवर्तन निरीक्षक,जिला रसद विभाग,सवाईमाधोपुर के साथ फर्म— महावीर स्वीट्स,पंजाब नेशनल बैंक के सामने, रणथम्भौर रोड,सवाईमाधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय श्री मनीषकुमार गोयल पुत्र श्री दुलीचन्द अग्रवाल मौजूद था,को मैने अपना परिचय दिया ।अभियुक्त को आवेदक ने अपना परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया तथा वर्ष 2011का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा—पत्र दिखाने को कहा तो अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र संख्या 5000 दिनांक 07.09.2009 व रसीद क्रमांक 07 दिनांक 24.01.2011 जो वर्ष 2011 के लिए नवीनीकृत है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु एक स्टील की ट्रे में रखी हुई लगभग 12 किलो बर्फी जिसे विक्रेता ने पूछने पर मावा व चीनी से निर्मित होना बताया,रखी हुई थी ,का निरीक्षण करने पर निरीक्षणकरने पर उसमें मिलावट का शक हुआ तथा तो विक्रेता मनीष कुमार गोयल से विक्रेता से उक्त बर्फी में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिए प्रपत्र—5—ए देकर एक प्रति पर हस्ताक्षर लिये तथा उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये । आवेदक ने एक स्टील की ट्रे में रखी हुई लगभग 12 किलो बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) में से 2 किलो बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित)एक साफ व सूखे बर्तन में शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदी। जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान व आवेदक के हस्ताक्षर है। आवेदक ने खरीदशुदा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) को चार साफ सूखे व खाली जारों में बराबर बराबर डालकर प्रत्येक शीशी में 40 बूंद फार्मेलीन प्रिजरवेटिव के रूप में डालकर चारों शीशीयों के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान,दिनांक ,खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवम् गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक शीशी पर अलग अलग चिपकाया तथा शीशीयों को अलग अलग ब्राउन पेपर में लपेट कर पेपर के सिरों को गोद से चिपका कर जार पर अभिहित अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवम् हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर—एच—130 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक जार पर चिपका कर ऊपर नीचे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार चार जगह से चपडी सील मोहर करके तीनों जारों पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर

विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये व सीलबन्द जसरों को कब्जे में लिया तथा मौके पर की गयी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की । जिसको पढकर समझकर एवम् सही मानकर विक्रेता एवम् गवाहान ने हस्ताक्षर किये । आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियां तैयार की। जिस पर उस शील का इम्प्रेशन लगाया। जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द जार को एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द जार व फार्म नम्बर –6 को सील बन्द लिफाफा श्री लाल वार्ड बाय कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर के द्वारा दिनांक 31.10.2011 को खाद्य विश्लेषक,कोटा (राजस्थान)के यहां जमा करवाये। जिनकी फार्म नम्बर –6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। बाकी बचे नमूने की दो सील बन्द जार (।।व।।। पार्ट) व सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द जार (iv पार्ट)व फार्म नम्बर –6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर मेंलपेट कर सील मोहर कर स्वयं के द्वारा दिनांक 31.102011 को अभिहित अधिकारी को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक को अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक/एफ.एस.एस.ए/2011/3556 दिनांक 29.11. 2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक,कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या/एफ.एस.एस.एल./कोटा/119 दिनांक 15.11.2011द्वारा उक्त बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का नमूना अमानक स्तर (SUB - STANDARD) प्रकृति का पाया गया है। उक्त प्रकरण में विक्रेता ने अमानक स्तर (SUB-STANDARD) बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम,2011 की धारा 26 की उप धारा–2(।।) का उल्लंघन किया है जिसकी शास्ति खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा –51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रपत्र–5ए,बर्फी क्रय करने की रसीद,मौके पर की गयी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट,फार्म नम्बर–6 की पुश्त पर खाद्य विश्लेषक कोटा की रसीद,फार्म नम्बर–6 अभिहित अधिकारी को जमा कराने की रसीद, खाद्य विश्लेषक कोटा की एफ.एस.एस.एल.की रिपोर्ट दिनांक 15.11. 2011 व न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने के प्राधिकृत पत्र की प्रति संलग्न की है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर विक्रेता श्री मनीष कुमार गोयल पुत्र श्री गोविन्द गोयल को जरिए सम्मन तलब किया गया। विक्रेता (अभियुक्त) श्री मनीष गोयल ने दिनांक .08.2015 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि अन्य प्रकरण में व्यस्त होने के कारण नही आ सकेगें तथा मैं प्रकरण का निस्तारण चाहता हूं इस बाबत समस्त प्रकार की जिम्मेदारी मुझ प्रार्थी की है ,मेरे प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे। मौखिक रूप से यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी विक्रेता गरीब आदमी है मैने स्वयं के द्वारा तैयार बर्फी का विक्रय किया है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नही की गयी है । खाद्य पदार्थ में पाई जाने वाली वसा की मात्रा प्रकृति आधीन है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील आवेदक ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जाने वाला खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) खाद्य विश्लेषक,कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या/एफ.एस.एस.एल./कोटा/2011/119 दिनांक 15.11.2011 के अनुसार अवमानक स्तर का पाया गया है जिसको अप्रार्थी ने स्वीकार किया है । अवमानक स्तर का पदार्थ जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला व असुरक्षित है तथा विक्रेता ने अमानक स्तर (SUB-STANDARD) बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का विक्रय करके करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम,2011 की धारा 26 की उप धारा–2(।।) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा –51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ——

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियुक्त को निर्धारित शास्ति राशि से दण्डित किया जावे ताकि अवमानक स्तर के पदार्थो के विक्रय पर प्रतिबंध लग सके।

अप्रार्थी विक्रेता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ही अन्तिम बहस मानकर निर्णय किये जाने बाबत निवेदन किया तथा अवमानक स्तर का पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अहितकर नही होने के कारण शास्ति के दण्ड से दण्डित नही किये जाने का अनुरोध किया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आवेदक (खाद्य सुरक्षा अधिकारी)द्वारा दिनांक 25.02.2012 को विक्रेता मनीष गोयल द्वारा विक्रय की जा रही बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित)का निरीक्षण करने पर तथा शुद्धता की परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक,कोटा को भिजवाये जाने पर खाद्य विश्लेषक,कोटा द्वारा नमूने एच–130 बर्फी की जांच कर विश्लेषण रिपोर्ट अभिहित अधिकारी को प्रेषित की गयी। जिसमें अतिरिक्त तत्व (Strach) की मात्रा नकारात्मक के विपरीत सकारात्मक होना पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 विहित मापदण्ड खाद्य उत्पाद मानक के अनुरूप नहीं होने से असंगत है तथा विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का नमूना अवमानक स्तर (SUB -STANDARD) का पाया गया है। इस नमूना रिपोर्ट की सूचना अभिहित अधिकारी द्वारा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विक्रेता अभियुक्त श्री मनीष गोयल को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गयी तथा नमूना रिपोर्ट के संबंध आपत्ति हो तो पुनः परीक्षण कराने के संबंध सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदत्त किया गया किन्तु बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विक्रेता द्वारा कोई आपत्ति बाबत कार्यवाही नमूना रिपोर्ट के संबंध की नही करने पर बाद गुजरने मियाद अभिहित अधिकारी एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26(2)(II)का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत विहित शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित कराने हेतु उक्त न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षा अधिकारी को प्राधिकृत करते हुए अदालत हाजा में प्रस्तुत करवाया गया है बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विक्रेता अभियुक्त को सुनवायी का अवसर दिये जाने पर अदालत हाजा में उपस्थित होकर उसने उस पर अधिरोपित आरोप के संबंध में अपना अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) अवमानक स्तर का होना स्वीकार किया है किन्तु बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) को स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नही होना व स्टार्च की मात्रा प्रकृति अधीन होना बताया है तथा इसकारण से दोषमुक्त करने बाबत निवेदन किया है।

उपरोकित विवेचन के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक ने अभियुक्त के बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) निरीक्षणोपरान्त दूध के नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 02. ... को बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विक्रेता मनीष को जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की है तथा खाद्य विश्लेषक,कोटा की विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 15.11.2011 के अनुसार बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) के नमूने में स्टार्च का मानक स्तर नकारात्मक के विपरीत सकारात्मक पाया गयाहै इससे , बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) अमानक स्तर (SUB -STANDARD)का पाया जाना सिद्ध होता है तथा इस अधिरोपित आरोप को अप्रार्थी अभियुक्त ने भी स्वीकार किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 के अध्याय –1(3)(1)(यब) में "अवमानक" खाद्य पदार्थ की परिभाषा निम्नानुसार पारिभाषित है–

"अवमानक"कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझाा जायेगा यदि वह विहित मानको को पूरा नही करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ **असुरक्षित** नही होता है।"

उपरोकित परिभाषा के अनुसार बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विक्रेता द्वारा विक्रय की जा रही बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर अवमानक स्तर का सिद्ध है तथा इसके संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति भी प्रकट नही की है। इस प्रकार बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विक्रेता श्री मनीष गोयल ने अभिकथित अधिरोपित अपराध खाद्य सुरक्षा एवम्

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सिविल प्रकरण संख्या 13/2012

मानक अधिनियम,2006 की धारा 26 उपधारा (2)(।।)का अपराध कारित करना स्वीकार किया है। अतः विक्रेता श्री मनीष गोयल पर अपराध दोष सिद्ध होने के कारण उसे खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है।

अभियुक्त को उक्त आपराधिक कृत्य के दण्डके बिन्दु पर सुना गया। खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 उपधारा (2)(।।) के अन्तर्गत उक्तांकित आपराधिक प्रवृति का कृत्य कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि पाच लाख रूपये के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है किन्तु अभियुक्त द्वारा किये जाने वाले कारोबार की प्रवृति छोटे व्यवसायी की श्रेणी की है तथा अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रवृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 के अध्याय–9 की धारा 49 को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए अभियुक्त श्री मनीष कुमार गोयल पुत्र श्री दुलीचन्द अग्रवाल उम्र 25 वर्ष जाति महाजन –विक्रेता व प्रोपराइटर –फर्म– महावीर स्वीट्स,पंजाब नेशनल बैंक के सामने रणथम्भौर रोड सवाईमाधोपुर निवासी गुरुद्वारा रोडपुराना शहर,सवाईमाधोपुर को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत 25,000रूपये (पच्चीस हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है व भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृति न करने के लिए निर्देशित किया जाता है: तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त श्री मनीष गोयल को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलदेवसिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर